प्रतापसिंह बनाम सरकार
प्रकरण संख्या 164/2021
निर्णय दिनांक : 14.09.2023

न्यायालय, सहायक कलक्टर, निम्बाहेड़ा

जिला चित्तौड़गढ़

(पीठासीन अधिकारी – रमेश सीरवी पुनाडियॉ, आर.ए.एस.)

वाद संख्याः– 164/2021

श्री प्रतापसिंह पिता रायसिंह जाति राजपूत, उम्र वयस्क निवासी धीनवा तहसील, निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़, राज.।

................वादी

बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार,निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़।

................प्रतिवादीगण

उपस्थित
वादी अधिवक्ता :– जगदीश मेनारिया

वाद पत्र अन्तर्गत धारा– 88
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

–: घोषणा :–

निर्णय तिथि :– 14.09.2023

1. आज यह पत्रावली वाद पत्र अन्तर्गत धारा– 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 का वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। वाद पत्र का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि ग्राम धीनवा, पटवार हल्का, जावदा की जमाबंदी संवत 2077–2080 की खाता संख्या 151 में आराजी नम्बर 283 रकबा 0.05 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 292 रकबा 0.01 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 293 रकबा 0.01 हैक्टेयर एवं आराजी नम्बर 294 रकबा 2.47 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 2.54 हैक्टेयर भूमि वादी एवं अन्य के नाम संयुक्त रूप से दर्ज रिकार्ड है। साक्ष्य में नकल जमाबंदी प्रस्तुत की गई। वादी को उक्त भूमि विरासत से प्राप्त हुई। वादी के पिता की मृत्यु उपरांत विरासत के नामान्तरण में वादी का नाम प्रतापसिंह के बजाय प्रहलादसिंह दर्ज हो गया है, जो आज दिनांक तक प्रहलादसिंह ही दर्ज है। जबकि वादी का वास्तविक नाम प्रतापसिंह होकर वादी के समस्त दस्तावेजों यथा आधार कार्ड, बैंक पासबुक, सहकारी किसान कार्ड, मतदाता पहचान पत्र आदि में वादी का नाम प्रतापसिंह अंकित है। वादी ने वाद के अंत में वाद स्वीकार फरमाया जाकर वादी का नाम प्रहलादसिंह के बजाय प्रतापसिंह घोषित किये जाने का निवेदन किया गया।

न्यायालय सहायक कलक्टर निम्बाहेड़ा–जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:14:53 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। वादी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई दौराने बहस वाद के बिन्दुओं को मात्र दौहराते हुए वादी की खातेदारी आराजियात में वादी का नाम प्रहलादसिंह के बजाय प्रतापसिंह घोषित किये जाने का निवेदन किया गया। मंहगाई राहत शिविर एवं प्रशासन गांवों के संग अभियान, 2023 केम्प स्थल ग्राम पंचायत जावदा पर ही वादी के वाद में अंकित तथ्यों के संबंध में भू–अभिलेख निरीक्षक, जावदा से मजमेआम में जांच करवाई गई। भू–अभिलेख निरीक्षक, जावदा एवं पटवारी हल्का, जावदा ने मजमेआम में उपस्थित मौतबिरान / ग्रामवासियान एवं अन्य उपस्थित के समक्ष पर्चा मौका तैयार किया गया। पर्चा मौका में अंकित किया गया हैं कि वर्तमान राजस्व रेकार्ड की आराजी नम्बर 283, 292, 293 एवं 294 कुल किता 4 कुल रकबा 2.56 हैक्टेयर में हिस्सा 1/20 श्री प्रहलादसिंह पिता रायसिंह राजपूत के नाम दर्ज दर्ज रिकार्ड है। मजमेआम में उपस्थित मोतबिरान के द्वारा यह बताया गया कि प्रहलादसिंह ही प्रतापसिंह पिता रायसिंह होकर दोनों एक ही व्यक्ति है। प्रहलादसिंह का सही नाम प्रतापसिंह है। प्रार्थी के आधार कार्ड एवं अन्य दस्तावेजात एवं सरपंच, ग्राम पंचायत जावदा की तस्दीक अनुसार सही है। वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में प्रहलादसिंह के बजाय प्रतापसिंह किये जाने में किसी को कोई आपत्ति नहीं है। सरपंच ग्राम पंचायत, जावदा द्वारा दिनांक 12.06.2023 को प्रमाण पत्र जारी किया गया जिसमें अंकित किया गया हैं कि यह प्रमाणित किया जाता हैं कि प्रहलादसिंह व प्रतापसिंह यह दोनों नाम का एक ही व्यक्ति है जिसकी मैं तस्दीक करती हूं। साथ ही पत्रावली में संलग्न भारतीय स्टेट बैंक की खाता संख्या 11295184793 की पासबुक की फोटोप्रति में, सहकारी किसान कार्ड की फोटोप्रति में, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र संख्या एफ.जे.जे./1748466 की फोटोप्रति में, भारत सरकार द्वारा जारी आधार कार्ड संख्या 919512136499 की फोटोप्रति में वादी का नाम प्रतापसिंह पिता रायसिंह दर्ज रेकार्ड है।

3. मैंने पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन कर तथ्यों पर मनन किया। वादी अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। मंहगाई राहत शिविर एवं प्रशासन गांवों के संग अभियान, 2023 केम्प स्थल ग्राम पंचायत, जावदा में दिनांक 09.06.2023 को भू–अभिलेख निरीक्षक [illegible] एवं पटवारी हल्का, जावदा द्वारा मजमेआम में बनाये गये पर्चे मौके का अवलोकन किया गया। पर्चा मौका से स्पष्ट होता हैं कि वादी का वास्तविक नाम प्रतापसिंह पिता रायसिंह है। साथ ही पत्रावली में संलग्न भारतीय स्टेट बैंक की खाता संख्या 11295184793 की पासबुक की फोटोप्रति में, सहकारी किसान कार्ड की फोटोप्रति में, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र संख्या एफ.जे.जे./1748466 की फोटोप्रति में, भारत सरकार द्वारा जारी आधार कार्ड संख्या 919512136499 की फोटोप्रति में वादी का नाम प्रतापसिंह पिता रायसिंह

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:14:53 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर

दर्ज रेकार्ड है। सरपंच, ग्राम पंचायत, जावदा द्वारा जारी प्रमाण पत्र में भी प्रहलादसिंह और प्रतापसिंह एक ही व्यक्ति होना बताया है। अतः पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात, भू–अभिलेख निरीक्षक, जावदा एवं पटवारी हल्का जावदा के संयुक्त पर्चा मौका, एवं सरपंच ग्राम पंचायत, जावदा द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार वादी के वाद में अंकित तथ्य साबित होने के कारण वादी का वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

<u>घोषणा है कि</u>

वादी का वाद पत्र अन्तर्गत धारा–88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 पर्याप्त सबूतों के परिपेक्ष्य में स्वीकार किया जाता है ग्राम धीनवा, पटवार मण्डल, जावदा की जमाबंदी संवत 2077–2080 की खाता संख्या 151 में दर्ज आराजी नम्बर 283 रकबा 0.05, हैक्टेयर, आराजी नम्बर 292 रकबा 0.01, आराजी नम्बर 293 रकबा 0.01 हैक्टेयर, एवं आराजी नम्बर 294 रकबा 2.4 हैक्टेयर में वादी का नाम प्रहलादसिंह पिता रायसिंह 1/20 राजपूत के बजाय प्रतापसिंह पिता रायसिंह 1/20 राजपूत का नाम घोषित किया जाता है। तहसीलदार, निम्बाहेड़ा घोषणा अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करावें।

पत्रावली का निर्णय आज दिनांक 14.09.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर व मोहरयुक्त जारी किया गया।

न्यायालय सहायक कलक्टर निम्बाहेड़ा–जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

(रमेश सीरवी पुनाडियॉ)
सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:14:53 IST
Reason: SelfAttested